कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

पत्रांक 559 /2भू0आ0 दिनांक 05/04 /2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः— **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल—बरसुण्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.575 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/53/2020/एफ0सी0/2324 दिनांक 19.02.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है—

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	वन भूमि विधिक परिस्थितियां नही बदली जायेगीं।	शर्त नं0 01— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदले जाने के लिये शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त नं0 02— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि सौंपे जाने की शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः** 03 (क)- वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.15 हे0 सिविल वन भूमि ग्राम कुण्ज खसरा सं0 296 एवं 367 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त नं0 03 (क) — वन विभाग द्वारा दिया जाना है।
	03 (ख)- गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रोपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	03 (ख) — के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0 49/08—भू0अध्य0लि0—भूमि हस्तान्तरण/2022 पौड़ी दिनांक अक्टूबर, 22, 2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण, हस्तान्तरण कर दिया गया है। **(आदेश की प्रति संलग्न)**
	03 (ग)- वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के	03 (ग) — उक्त शर्त संख्या का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

	तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	
	03 (घ)- रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	03 (घ) – शर्त संख्या–घ के अनुसार 50 प्रतिशत का ही ओक प्रजाति के वृक्षों का रोपण हेतु बचनबद्ध है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किया जा सकता है।	शर्त नं0 4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंमन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करने के लिये सहमत है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित करने के लिये सहमत है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जाने के लिये सहमत है। **(प्रमाण पत्र संलग्न)**
5	<u>शुद्ध वर्तमान मूल्यः</u> 05 (क)- इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202 / 1995 में IA नम्बर 556 दि0 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008, एवं 9.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5.1 / 1998–एफ0सी0(PT.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3 / 2007एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.575 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	05 (क)- के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 53 / 2020 / एफ0सी0 / 2324 दिनांक 19.02.2021 के तहत दिये गये दिशा निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि कुल रू0 10,34,775.00 जमा की जा चुकी है। **(चालान की प्रति संलग्न है)**
	05 (ख)- विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	05 (ख)- के अनुपालन में विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **(शपथ पत्र संलग्न)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 93 ट्री से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सक्षत पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 93 होगी। पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जायेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा करने के लिय वचनबद्ध है।
7	It is seen that 02 ha area of CA is in MDF, DFO may inspect the area and submit site inspection report mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not then the plantation scheme of balance saplings as per guidelines dt 08-11-2017 may be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया जाना है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित / जमा किये जायेगें।	के अनुपालन में सभी निधियों (CA cost NPV etc.) पोर्टल पर Online Genrate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या में कुल रू0 2319950.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया गया है, एवं वैव पोर्टल पर भी भुगतान प्राप्त प्रदर्शित है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

9	गाईड लाईन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशानुसार ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से करने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाने के लिये वचनबद्ध है। **(प्रमाण पत्र संलग्न)**
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें।	सम्बन्धित क्षेत्र / वन क्षेत्र में निर्धारित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने के लिये मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनिमय 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदलने के लिये मान्य है।
15	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किये जाने के लिये मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से र्प्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोतो से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिये जाने पर मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0एसी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। **(प्रमाण पत्र संलग्न)**
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाये जाने के लिये मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के लिये प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किये जाने के लिये मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेन्सियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किये जाने के लिये मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इसमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही किये जाने पर मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू किये जाने के लिये मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थानों पर मलवा निस्तारण करेगा। सम्बन्धित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

	परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड़ की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर चालान अपलोड़ होने के पश्चात ही शीघ्र अनुपालन आख्या अपलोड किया जायेगा।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

O/C 05/04/23

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

O/C 05/04/23

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

e

!! आदेश !!

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–338/भू0अ0 दिनांक 13.04.2022 में विकास खण्ड पोखड़ा अन्तर्गत **कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग** के नव निर्माण हेतु 1.575 है0 सिविल भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.150 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के संबंध कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के क्रम में उपजिलाधिकारी, चौबट्टाखाल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–132/वाचक /2021–22/दिनांक 04 अक्टूबर 2021 में कुण्जखाल–बरसुड मोटर मार्ग कि नव निर्माण हेतु 1.575 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का प्रस्ताव पूर्व में निम्नवत उपलब्ध कराया गया है:–

1. ग्राम कुण्ज पट्टी कोलागाड–1 तहसील चौबट्टाखाल की नॉन जेड खतौनी खाता संख्या–12 खसरा संख्या–296 मध्ये रकवा 1.479 है0 व खसरा संख्या–367 मध्ये रकवा 3.004 है0 कूल 4.483 है0 श्रेणी 9(3)(ग) स्थाई पशुचर तथा दूसरे चराई की भूमि, चारागाह में दर्ज है, को भू–प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित भूमि गौचर भूमि दृष्टिगोचर होने पर शासन से उक्त भूमि के संबंध में अनुमति ली गई।

अपर सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से निर्गत शासकीय पत्रांक संख्या–R-2-20/20.8/30/2022-XVIII-A-2-Revenue Department (Computer no-33082) दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें विकास खण्ड पोखड़ा अन्तर्गत कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.150 है0 सिविल भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है एवं अपेक्षा की गई है कि प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 05 प्रतिशत बनाये रखना आवश्यक होगा।

अतः तदनुसार श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई सहर्ष स्वीकृति के क्रम में अपर सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से निर्गत पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2022 में ग्राम कुण्ज पट्टी कोलागाड–1 तहसील चौबट्टाखाल की नॉन जेड खतौनी खाता संख्या–12 खसरा संख्या–296 मध्ये रकवा 1.479 है0 व खसरा संख्या–367 मध्ये रकवा 3.004 है0 कूल 4.483 है0 मध्ये 3.575 है0 भूमि श्रेणी 9(3)(ग) स्थाई पशुचर तथा दूसरे चराई की भूमि, को प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे),
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल !!
E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com/PHONE-01368-222250/Fax:222080

संख्या– ५० /08–भू0अध्य0लि0–भूमि0हस्ता0/2022 पौड़ी दिनांक अक्टूबर 22, 2022

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. उपजिलाधिकारी, चौबट्टाखाल।
5. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0लो0नि0वि0, पौड़ी।
6. तहसीलदार, चौबट्टाखाल।
7. कार्यालय प्रति।

21/10.

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

नकल खतौनी जान जेड०ऐ

ग्राम – कुण्ज   पट्टी – कोलागाड़-I   तहसील – चौबट्टाखाल   जनपद – पौड़ी गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	12	चारागाह श्रेणी 9(3)(ग)		296	1.479															
				367	3.004															

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय आदेश संख्या 49/88 भू० अध्या० लि० भूमि० हस्ता०/2022 पौड़ी दिनांक अक्टूबर 22, 2022 के ग्राम कुण्ज पट्टी कोलागाड़ तहसील चौबट्टाखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल की जान जेड खतौनी खाता संख्या -12 के खसरा संख्या 296 मध्ये रकबा 1.479 है० खसरा संख्या 367 मध्ये रकबा 3.004 है० कुल 4.483 है० मध्ये 3.575 है० भूमि श्रेणी 9(3)(ग) स्थाई पशुचर तथा प्रसरे चराई की भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पक्ष मे नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृत प्रदान की जाती है, ह० डा० विजय कुमार जोगदण्डे जिलाधिकारी गढ़वाल दि० 21-10-2022

महोदय, नकल खतौनी जान जेड असल से तैयार की गयी है,

Kuldeep
कुलदीप कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी कोलागाड़ तह० चौबट्टाखाल
जिला पौड़ी गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure -3(ग)

परियोजना का नाम :-जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल-बरसुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम कुण्जखाल-बरसुण्ड मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ज पट्टी कोलागाड में पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण नही हुआ है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी
E Mail ID:- eepwdedpauri@gmail.com, eepwdedpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure -04

परियोजना का नाम :—जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल—बरसुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन के व्यय के भुगतान का

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत से वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाना है इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि इस विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में यथा समय जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी.

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी
E Mail ID:- eepwdedpauri@gmail.com, eepwdedpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure -05

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.575 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

Scanned with CamScanner

4

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 27-02-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6120557700
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/53/2020/FC
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri Garhwal Pauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284
Amount(in Rs)	2319950/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Twenty-Three Lakh Nineteen Thousand Nine Hundred and Fifty Rupees Only

आहरण वितरण अधिकारी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि० पौडी
डी०डी०ओ० कोड सं०- 4234

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
5416020230313902036	

13/03/2023

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 27-02-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6120557700
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/53/2020/FC
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri GarhwalPauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284
Amount(in Rs)	2319950/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Nineteen Thousand Nine Hundred and Fifty Rupees Only

आहरण वितरण अधिकारी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि० पौडी
डी०डी०ओ० कोड सं०- 4234

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
5416020230313902036	

13/03/2023

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 27-02-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6120557700
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/53/2020/FC
Address.	Construction Division PWD Pauri,Pauri GarhwalPauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284
Amount(in Rs)	2319950/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words : Twenty-Three Lakh Nineteen Thousand Nine Hundred and Fifty Rupees Only

आहरण वितरण अधिकारी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि० पौडी
डी०डी०ओ० कोड सं०- 4234

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
5416020230313902036	

13/03/2023

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdedpauri@gmail.com, eepwdedpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure -5(ख)

परियोजना का नाम :–जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यवर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय करा दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

Scanned with CamScanner

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- eepwdedpauri@gmail.com, eepwdedpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure -11

परियोजना का नाम :—जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पाबौ के अन्तर्गत कुण्जखाल—बरसुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

आई0आर0सी0 मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या हेतु

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगी. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय हेतु बचनबद्ध है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौ०

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure -17

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर वनभूमि में आर०सी०सी० पिलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रॉकः– 55/51 12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, जून,23. 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल–वरसुण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD//20557/20156**

सन्दर्भ– आपकी पत्र सं0 2646/12–1, दिनांक 29–04–2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में पाई गई कमियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:–

प्रश्न	उत्तरालेख
1. शर्त सं0 3(ख) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दी गई भूमि का कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है का अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	बिन्दु सं0–1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दी गई भूमि का कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है का अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–1)
2. शर्त सं0 3(ग) के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रसतुत किया जाना था कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया जबकि उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।	बिन्दु सं0–2 के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–2)
3. शर्त सं0 7 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.00 है0 एम0डी0एफ0 क्षेत्र 1000 पौध प्रति है0 हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं ? का प्रभागीय वनाधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी संलग्न करें।	बिन्दु सं0–3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.00 है0 एम0डी0एफ0 क्षेत्र 1000 पौध प्रति है0 हेतु उपयुक्त है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–3)

अतः अनुपालन आख्या उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

O/C.

Scanned with CamScanner

दिनांक ....का ग्राम सभा का सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– कंडाक / बगार

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भगवती प्रसाद	भगवती प्र
2	गायत्री देवी	गयत्री देवी
3	रेखा देवी	रेखादेवी
4	महेन्द्र कुमार / विनोद कुमार	महेन्द्र कुमार
5	जगदीश प्रसाद	[illegible]
6	विक्रम सिंह	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
9	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्रसिंह
10	रवेन्द्र सिंह	[illegible]
11	शान्ती देवी	शान्ती देवी
12	महेश्वरी देवी	महेश्वरी देवी
13	महेन्द्र सिंह	[illegible]
14	रवेन्द्र सिंह	रवेन्द्र सिंह
15-	कल्पेश्वरी देवी	कल्पेश्वरी देवी
16-	शान्ती देवी	शान्ती देवी
17-	गायत्री देवी	गायत्री देवी
18-	सुशीला देवी	सुशीला देवी
19-	बसू देवी	बसुदेवी
20-	शीला देवी	शीला देवी
21	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह

प्रधान ग्रा० पंचायत ... दीपा ... ह० ... वि० ...

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ________

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ________

उपखण्ड **पोखड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुण्जखाल–बरसुण्ड 0 हे0 आरक्षित वन भूमि, ... हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.575 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ...0... हे0 वन भूमि) का **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चौबट्टाखाल) की दिनांक 8–12–15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पी० एल० शाह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयीं। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री पी०एल० शाह उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष

2– श्री S. K. Kala उप प्रभागीय वनाधिकारी ...... धरैला ...... सदस्य

3– श्री कु० ममता ...... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ...... पोखड़ा ...... सदस्य

4– श्री [illegible] बी०डी०सी० क्षेत्र पूर्व अध्यक्ष मन्दिर समिति बरसुण्ड सदस्य / सचिव

उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग धरैला

स0 समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0 पोखड़ा (गढ़वाल)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग .... परियोजना हेतु 1.575 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, S. K. Kala धैलैप द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरसुण्डा - किण्डरखाल मोटर मार्ग के परियोजना के निर्माण हेतु 1.575 हे0 वन भूमि ... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
एस० डी० एम० (बारहस्यूं)
तहसील-चौबट्टाखाल
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **पौड़ी गढ़वाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
एस० डी० एम० (बारहस्यूं)
तहसील-चौबट्टाखाल
जनपद पौड़ी गढ़वाल

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– **कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कुण्ज
तहसील **चौबट्टाखाल**, जिला **पौड़ी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **कुण्जखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (**0.00** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.575** हे0 सिविल सोयम भूमि, **0.00** हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल **1.575** हे0 वन भूमि का **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्ज द्वारा दिनांक 12/10/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **कुण्ज, बगर, बरसुण्ड** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

Chaubattakhal-Latibaou-Dalibaou-Nai Motor Road (3.00 km) regarding FRA is as following:

Sl .No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **1.575 hectares** area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Sub Division level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes, copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversions of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

Executive Engineer
Construction Division
PWD, Pauri

Deputy Commissioner
Garhwal, Pauri

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

प्रारूप–30

FORM-I

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No---

Dated---- 25-5-2015

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.575 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, P.W.D. Pauri** for **Construction of Kunjkhal-Barsund Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Kunj, Bagar, Barsund,** village (s) in **Chaubattakhal** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.575 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Chandra Sekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

FORM-II
(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No—

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

Dated-25-5-2016

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **1.575 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, P.W.D. Pauri** for **Construction of Kunjkhal-Barsund Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kunj, Bagar, Barsund,** village (s) in **Chaubattakhal** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.575 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **annexure 01 to annexure 02**

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Kunj** villages is enclosed as **annexure 01 to annexure 02**

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

(Chandra Sekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

संलग्नक-1

योजना का नामः— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुणजखाल–बरसुण्डा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP / UK / ROAD / 20557 / 2015.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को नामान्तरित / हस्तान्तरित भूमि कब्जा प्रमाण पत्र।

जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय आदेश संख्या–49 / 08–भू0अध्या0लि0–भूमि0हस्ता0 / 2022, पौड़ी, दिनांक, अक्टूबर 22, 2022 के अनुसार विषयगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष ग्राम कुणजा, पट्टी कोलागाड–1, तहसील चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड0 खतौनी खाता संख्या–12,, खसरा संख्या–296 मध्ये रकबा 1.479 है0, व खसरा खाता संख्या–367 मध्ये रकबा– 3.004 है0 कुल 4.483 है0 मध्ये 3.575 है0 भूमि श्रेणी–9 (3) (ग) स्थाई पशुचर तथा दूसरे चराई की भूमि को वन विभाग गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार गढ़वाल प्रभाग पौड़ी के नाम उक्तानुसार नामान्तरित / हस्तारित भूमि कब्जे में ले ली गयी है।

अतः कब्जा प्रमाण पत्र सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(नक्षत्र लव शाह)
वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-2

योजना का नामः— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुणजखाल—बरसुण्डा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/20557/2015.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित भूमि/क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य न किये जाने प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय आदेश संख्या—49/08—भू0अध्या0लि0—भूमि0हस्ता0/2022, पौड़ी, दिनांक, अक्टूबर 22, 2022 के अनुसार विषयगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष ग्राम कुणज, पट्टी कोलागाड—1, तहसील चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड0 खतौनी खाता संख्या—12,, खसरा संख्या—296 मध्ये रकवा 1.479 है0, व खसरा खाता संख्या—367 मध्ये रकवा—3.004 है0 कुल 4.483 है0 मध्ये 3.575 है0 भूमि श्रेणी—9 (3) (ग) स्थाई पशुचर तथा दूसरे चराई की भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार गढ़वाल प्रभाग पौड़ी के नाम उक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नामान्तरित/हस्तारित **भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।**

(नक्षत्र लव शाह)
वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)।

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

!! प्रमाण–पत्र !!

प्रमाणित किया जाता है कि पोखड़ा रेंज के अन्तर्गत कुणजखाल से बरसुण्डा तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष ग्राम कुणज, पट्टी कोलागाड–1, तहसील चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड0 खतौनी खाता संख्या–12,, खसरा संख्या–296 मध्ये रकवा 1. 479 है0, व खसरा खाता संख्या–367 मध्ये रकवा–3.004 है0 कुल 4.483 है0 मध्ये 3.575 है0 भूमि श्रेणी–9 (3) (ग) स्थाई पशुचर तथा दूसरे चराई की भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वन विभाग के पक्ष में उपरोक्त नामान्तरित/हस्तान्तरित एवं पूर्व से चयनित भूमि क्षतिपूरक क्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित ग्राम कुणज की 2.0 है0 एम0डी0एफ0 भूमि/क्षेत्र 1000 पौध प्रति है0 रोपण हेतु उपयुक्त है।

(नक्षत्र लव शाह)
वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)।

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल

Scanned with CamScanner

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त पोखड़ा ब्लॉक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में कुण्जखाल, बगर, बरसुण्ड, मोटर मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 1.575 हे0 लो0नि0वि0 को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यवर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी गढ़वाल

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

प्रारुप–34

परियोजना का नामः– **कुणजखाल–बरसुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रोजेक्ट एजेन्सी) विभाग
पौड़ी गढ़वाल

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri